नहीं है। अतः प्रकरण समेकन/आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 4-5-18 को पेश हो।

4/5/18

आज P.O. सार्वजनिक मोर्चे में व्यस्त
जनहित ता. दी गई स्टे आदेशों
की पालना में दिनांक 13/2/18
को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

25-6-18

पत्रावली सामान्य लोक अदालत कैम्प में बोर्ड में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया पूर्वोक्त वाद प्रश्नगत एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों से राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक तौर पर किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा के इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम बोयेदा स्थित ख.नं. 216, 217, 226, 227, 309 लगायत 313 कुल 18 बिघा 9 कुल रकबा 1.32 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रश्नगत फैसलशुदा प्रकरण जब्त एवं कम हो तथा वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण प्रतिवादीगण कब्जा रहे एवं मूल वाद के संलग्न है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में बोयेदा के मौजे आम में सुनाया जाकर सुनाया गया।

कलक्टर